तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की ता... में जारी हुए
12.12.19	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित तथा विपक्षी तहसीलदार रायपुर की ओर से नायब-तहसीलदार अधिवक्ता प्रार्थी के द्वारा निवेदन किया कि विपक्षी की ओर से जवाब पेश नही किया गया है रास्ते का प्रकरण है इस उपस्थित नायब तहसीलदार द्वारा अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता पहले से ही राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है. इसमे जवाब की आवश्यकता नही है।	
	उभय पक्ष की बहस सुनी गयी अधिवक्ता प्रार्थी के द्वारा निवेदन किया कि राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज है उसको मोके पर चालु कराया जावे ताकि प्रार्थी सरकारी रास्ते से अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन कर सके इस पर पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया कि राजस्व रेकार्ड मे भूमि बिलानाम होकर किस्म रास्ते के रूप मे है इस पर अतिक्रमण होगा तो हटा दिया जायगा।	
	मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा रेकार्ड व बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी [illegible]	

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पहले से ही बिलानाम रास्ता के. रन्च मे दर्ज है, जिस पर अतिक्रमण किया जाता है तो विपक्षी स्वयं धारा 91 L.R Act के तहत कार्यवाही करने मे सक्षम है. तथा विपक्षी के अधिकार क्षेत्र मे होकर विपक्षी का कर्तव्य है कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमण पाया जावे तो उक्त धारा 91 के तहत कार्यवाही कर बेदखल किया जावे. अगर दुबारा अतिक्रमण पाया जाता है तो पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अतिक्रमी को सजा दी जावे. रास्ते की भूमि को सार्वजनिक व शामलात भूमि माना गया है. अगर शामलात भूमि पर अवैध कब्जा किया जाता है उसे तत्काल हटाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा भी अलग से कई परिपत्र भी जारी किये गये है. तथा उपर फिर भी किसी कार्मिक / अधिकारी के द्वारा अतिक्रमण हटाने मे कोताही बरती जाती है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे का भी सरकार ने परिपत्र जारी कर रखा है। प्रार्थी राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने बाबत परिवाद भी पेश कर सकता था किन्तु प्रार्थी ने ऐसा नही कर धारा 251 A RT.A के	

आवेदन किया गया है जिसको स्वीकार किया जाना उचित है चूंकि राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी विपक्षी तहसीलदार रामपुर की है।

जहां धारा 251 A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान में रास्ते हेतु चाही गयी भूमि की डी.एल.सी के अनुसार भूमि किस्म निर्धारित कर दुगुनी दर से विपक्षी को दी जाती है. इस प्रकरण में विपक्षी तहसीलदार रामपुर है तथा रास्ते हेतु चाही गयी भूमि पहले से ही बिलानाम होकर किस्म गैरमुमकिन रास्ता के रूप मे दर्ज है। जो भूमि रास्ते हेतु दी जाने का आदेश न्यायालय द्वारा किया जाता है उसको खातेदार के बजाय उसको बिलानाम रास्ते के रूप में दर्ज की जाती है।

इस प्रकरण में भूमि पहले से ही रास्ते के रूप में दर्ज है जिससे डी.एल.सी. अनुसार मूल्यांकन किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी ग्राम गल्यावडी की आ.नं. 937 रकबा 0.30 है बिलानाम रास्ते के

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
रकबा मे दर्ज है, उसका उपयोग अन्य लोगों की तरह स्वयं भी करे। विपक्षी तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता है कि अगर ग्राम गल्यावडी की बिलानाम रास्ते की आ.नं. 937 रकबा 0.30 हैक्टर भूमि पर किसी का अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे तत्काल हटाया जावे तथा उसे पाबन्द भी करे कि भविष्य मे बिलानाम रास्ते की भूमि पर अवैध अतिक्रमण नही करे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 12.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। 12.12.19 (सुन्दरलाल बम्बोड़ा) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर रायपुर जिला भीलवाड़ा सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2019.12.21 13:26:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: